संख्या–107/81–2–2023–800(69)/2022

प्रेषक,

नीता चौधरी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 20 फरवरी, 2022

विषयः– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस–आगरा मार्ग) किमी0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं0–10 में मै0 इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क के निर्माण हेतु 0.069777 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव FP/UP/Approach/44699/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0–2260/11–सी–FP/UP/Approach/44699/2022, दिनांक 06.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post facto) के प्रकरण में दोषी संस्था के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण दिया गया है किन्तु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण/प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक 29.01.2018 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण/प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीता चौधरी)
उप सचिव